



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 08 वर्ष 01 माह का साधारण कारावास व 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 05.02.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्त परवेज उर्फ बौना पुत्र जमात इलाही निवासी भण्डा पट्टी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ आपराधिक क्रिया-कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 341/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 25.12.2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 05.02.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय ADJ/FTC द्वितीय हापुड़ द्वारा 08 वर्ष 01 माह का साधारण कारावास व 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (ए.डी.जी.सी) व विवेचक उ0नि0 श्री अजय सिंह एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहररिं का0 563 दुष्यंत राठी का विशेष योगदान रहा ।

